

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग.

क्रमांक : प.5(138)खान/ग्रुप-2/09

जयपुर, दिन क

18 MAY 2011

अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनिज रियायती नियमावली, 1960 के नियम 74 के अन्तर्गत (अ) ब्लाक-1 नि०ग्रा० उमड़ा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में 16.16 वर्ग कि.मी. (बं) ब्लाक-11 नि०ग्रा० धुनीमाता तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में 14.90 वर्ग कि.मी. एवं ब्लाक (स) नि०ग्रा० झामरकोटडा, धामधर, लालपुर तह० गिर्वा जिला उदयपुर में क्षेत्र 7.45 वर्ग कि०मी० को खनिज एटोमिक मिनरल्स के पूर्वेक्षण हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के पक्ष में (पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के क्षेत्रों को छोड़कर) पाँच वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित किया जाता है।

खनिज रियायती नियमावली, 1960 के नियम 74 के अन्तर्गत उक्त वर्णित एवं अन्य खनिजों के लिए प्राप्त / प्रस्तुत खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण के आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उक्त क्षेत्रों को राजस्थान राजपत्र द्वारा अन्तर्क्षित घोषित नहीं किया जावे।

आरक्षित किये जाने वाले ब्लाक्स का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1. ब्लाक-नि.ग्रा. उमड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर टोपोशीट संख्या 45H/14, 45H/15 स्थाई बिन्दु टी.आई. 725

से	तक	बियरिंग	दूरी मीटर में
स्थायी बिन्दु टी. आई. 725	A	337 ⁰ -30'	2925
A	B	61 ⁰ -15'	4111.37
B	C	174 ⁰ -00'	5122.58
C	D	270 ⁰ -00'	4140
D	(E) A	360 ⁰ -00'	3117
कुल क्षेत्रफल - 16.16 वर्ग कि.मी.			

2. ब्लाक-नि.ग्रा. धुनीमाता तहसील गिर्वा जिला उदयपुर टोपोशीट संख्या 45H/14, 45H/15 स्थाई बिन्दु टी.आई. 725

(क.प.ड.)

से	तक	बियरिंग	दूरी मीटर में
स्थायी बिन्दु टी. आई. 725.	A	337°-30'	2925
A	P	357°-00'	4400
P	Q	360°-00'	3354
Q	R	90°-00'	4445
R	S	180°-00'	3354
S	P	270°-00'	4445
कुल क्षेत्रफल = 14.90 वर्ग कि.मी.			

3. ब्लाक नि0ग्रा0 झामरकोटडा, धामधर, लालपुर तह0 गिर्वा जिला उदयपुर टोपोशीट संख्या 45H/14, 45H/15 स्थाई बिन्दु टी.आई. 785

से	तक	बियरिंग	दूरी मीटर में
स्थायी बिन्दु टी. आई. 785	a	187°-30'	3310
a	a1	329°-3'14"	12.12
a1	a2	322°-00'	1198.21
a2	K	360°-00'	2347.15
K	X	90°-00'	1169.73
X	GT-785	180°-00'	09.67
GT-785	g1	90°-00'	323.77
g1	g2	152°-00'	1733.44
g2	h	152°-00'	1995.16
h	a	270°-00'	2500
कुल क्षेत्रफल - 7.45 वर्ग कि.मी.			

उपरोक्त क्षेत्र के मानचित्र एवं विवरण सूची कार्यालय खनि अभियंता, उदयपुर, अधीक्षण भू-वैज्ञानिक (फास्फेट), उदयपुर तथा निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा।

आज्ञा से,

(शिव कुमार, अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महा0राज्यपाल / मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, खान राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधीक्षण खनि अभियंताओं / खनि अभियंताओं / सहायक खनि अभियंताओं / अधीक्षण भू-वैज्ञानिकों / वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों को इस अधिसूचना की प्रति भिजवाने की व्यवस्था करें, साथ ही अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर भी अप लोड किया जावे ।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति सहित प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में तत्काल प्रकाशन करा राजपत्र की प्रति इस विभाग एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें । अधिसूचना की सी0डी0 संलग्न है।
3. रक्षित पत्रावली ।

(प्रहलाद सिन्हा)

शासन सहायक सचिव